

16/3/2021

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप
प्रतिवादी सं. 7 ता 9 की तामिल सम्पत्त रूप
से टोकर पेशशुदा है। बावजूद सम्पत्त तामिल
अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी सं. 7 ता 9 के
विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लानी
जाती है। वास्ते साक्ष्य पत्रावली दिनांक
31/3/2021 को पेश हो।

31/3/21

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय परिकेन
उप./जुलिया पीकरीन अधिकारी के
/अन्य कर्मों में पत्रावली अंतिम
कार्यवाही हेतु दिनांक 15/4/2021
को पेश हो।

15/4/2021

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उग्रपक्ष
उप./ वकील वाही ने साक्ष्य ना पेश कर सीधी
बहस हेतु निवेदन किया। अतः वकील वाही का
निवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण में साक्ष्य
कमी खंड किया जाकर बहस वकुलाय उग्रपक्ष
हुनी गयी। वरवन्त बहस वकुलाय उग्रपक्ष के
मुताबिक राजीनामा दावा डिमी करमाये जाने का
निवेदन किया।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजाव
रिकार्ड, पेशशुदा राजीनामा आदि का अवलोकन
किया गया एवं बहस वकुलाय उग्रपक्ष पर सगौर
मनन किया गया। अंतिम विवादित पक्षकारों द्वारा
राजीनामा पेश किया जा चुका है जिसे न्यायालय
द्वारा तस्वीक भी किया जा चुका है जिसे
विवादित अंतिम के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य

कोई विवाद विद्यमान होना नहीं पाया जाता है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के अध्ययन पर वाद, वादी मुताबिक राजीनामा दिनांकित 04.01.2021 स्वीकार किया जाकर डिफ्री किया जाता है। राजीनामा दिनांकित 04.11.2021 डिफ्री का भाग रहेगा। मुताबिक राजीनामा दिनांकित 04.11.2021 राजस्व रिकॉर्ड में भंगल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिफ्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 15/5/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)

RAS

सहायक कलक्टर

(फास्ट ट्रेक) खण्डेला